



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषि विज्ञान केन्द्र, भलेसर, महासमुन्द - 493445
Krishi Vigyan Kendra, Bhaleshar, Mahasamund 493445



Website: www.kvkmahasamundcg.org, E-mail : kvk.mahasamund@igkv.ac.in

क्रमांक/कृ.वि.के / 2023-24 / 320

महासमुन्द, दिनांक 13-07-2023

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र महासमुन्द में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख को सम्बोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 21/08/2023.सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
01	सहायक वर्ग -2	18420/-	01	-	-	-	01
02	वाहन चालक	14200/-	01	-	-	-	01
03	चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी समकक्ष)	11360/-	01	-	-	-	01

आवेदन की अंतिम तिथि : 21/08/2023


आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.igkv.ac.in एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द की वेबसाइट www.kvkmahasamundcg.org उपलब्ध रहेगी शैक्षणिक अर्हता :- "इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्याय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम, 2016" में उल्लेखित अनुसार होगी।

क्र	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
01.	सहायक वर्ग - 2	<ul style="list-style-type: none">केन्द्र शासन/राज्य शासन/विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मंडल/निगम/आयोग/प्राधिकरण से उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, को प्राथमिकता आवश्यक न्यूनतम अर्हता (सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने की स्थिति में)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातककिसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्रकम्प्यूटर से संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।
02	वाहन चालक	<ul style="list-style-type: none">आठवीं कक्षा उत्तीर्णहल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस। (वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा ली जायेगी।)
03	चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी समकक्ष)	<ul style="list-style-type: none">मान्यता प्राप्त मण्डल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।

नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें ।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
4. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
5. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
6. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21/08/2023 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
8. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
9. सहायक वर्ग -2 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी ।
10. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा ।
11. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।
12. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
13. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। (03 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा)।
14. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिये अनुपाति के आधार पर दिये जावेंगे।
15. चयनित उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थिति के पूर्व 50/- रुपये के स्टॉप पेपर पर एक वचन पत्र देना होगा। वचन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे एवं वह नियंत्रणकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जावेगा। वचनपत्र तैयार कर उसे जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। वचनपत्र का प्रारूप संलग्न है।
16. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।

17. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
18. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर या एक माह का वेतन देकर सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
19. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।
20. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
21. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिये अर्ह नहीं माने जावेंगे।
22. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
23. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
24. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।
25. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रू. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
26. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in, www.kvkmahasamungcg.org पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
27. विज्ञापन, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in, www.kvkmahasamungcg.org पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
28. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igkv.ac.in एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द की वेबसाइट www.kvkmahasamungcg.org पर नियुक्ति प्रक्रिया से सारी जानकारी के लिये लगातार नजर बनाए रखेंगे।
29. संविदा नियुक्ति हेतु संपूर्ण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा की जावेगी तथा यही अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया के लिये सक्षम अधिकारी होंगे।


 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
 13/07/23

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व प्रमाणित
हाल की
पासपोर्ट साईज
की फोटो चस्पा
करे।

प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द्र

- विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक :
- आवेदित पद का नाम एवं :
- संविदा का निश्चित वेतन (रूपये प्रति माह) :
01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) :
02. पिता/पति का नाम :
03. लिंग (महिला/पुरुष) :
04. वैवाहिक स्तर एवं विवाह दिनांक :
- (विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर) :
05. पति/पत्नी का नाम :
06. विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या :जन्म दिनांक.....
07. 26.01.2001 को या उसके पश्चात् जन्म :जन्म दिनांक.....
- लिये बच्चों की संख्या
08. यदि निःशक्तता हैं तो निःशक्तता का प्रकार 1. दृष्टिबाधित 2. श्रवण बाधित 3. अस्थि बाधित
09. निःशक्तता का प्रतिशत :
10. जाति :
11. संवर्ग (सामान्य/अपिबर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.) :
- (आरक्षण वर्ग समक्ष अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न
करें)
12. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र : हॉ/नहीं (यदि हॉ तो संलग्न करें)
13. जन्म तिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
14. दिनांकको आयु :वर्षमाह.....दिन
15. स्थाई पता :
16. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (मोबाईल) :
- क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. सहित :

17. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रतिशत/ग्रेड	श्रेणी

18. अनुभव

क्र	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	अवधि

19. वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्यालय :
का नाम एवं पदनाम (कार्यालय प्रमुख का
अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

20. विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस., खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

21. अन्य योग्यता :-

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- | | |
|-----|-----|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |

टीप :- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्त को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान:

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर